उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या-2976/9.1.16–51टी.ए/14
लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत बरियारपुर जिला देवरिया का गठन करने के लिये संक्रमणशील क्षेत्र घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिये आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या–970/9–1–16–51टी.ए./14, दिनांक 17 मार्च 2016 को जारी और दिनांक 17 मार्च 2016 को गजट में प्रकाशित की गयी थी,

और चूंकि सरकारी अधिसूचना संख्या–970/ 9–1–16–51टी.ए./14, दिनांक 17 मार्च 2016 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का शासनादेश संख्या–2141/9–1–16–51टी.ए./2014, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा निस्तारण कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) की धारा–3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिये जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्य कलापों में सेवायोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुये विनिर्दिष्ट करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में उल्लिखित है, संविधान के भाग नौ–क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिये एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत बरियारपुर, जनपद देवरिया के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

उत्तर गाटा संख्या	1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 592, 603, 604, 606, 607, 608, 690, 691, 704, 705
दक्षिण गाटा संख्या	2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3011, 3012, 3014, 3019, 3020, 3023, 3024, 3028, 3029, 3031, 3035, 3036, 3038, 3040, 3041, 3042, 3043, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3061, 3066, 3069, 3071, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078, 3086, 3084, 3085, 3086, 3087, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3209, 3215, 3216, 3217, 3219, 3235, 3236, 3337, 3338, 3340, 3341, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3351, 3352, 3353, 3407, 3408, 3409, 3411, 3413, 3414, 3415, 3522, 3523, 3524, 3548, 3549
पूरब गाटा संख्या	706, 708, 938, 939, 940, 941, 1044, 1045, 1046, 1092, 1093, 1113 1114, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1127, 1130, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223 , 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1243, 1247, 1248, 1254, 1255, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288,1289, 2450, 2451, 2455, 2453, 2674, 2675, 2676, 3464, 3465, 3471, 3472, 3480, 3482, 3483, 3494, 3496, 3497, 3498, 3507, 3508, 3509, 3510, 3544, 3545, 3546, 3549,

पश्चिम गाटा संख्या	1, 18, 30, 31, 32, 34, 36, 50, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 205, 206, 208, 242, 243, 244, 324, 325, 332, 335, 337, 341, 344 343, 345, 346, 347, 348, 1708, 1709, 1734, 1749, 1750, 1751, 1792, 1793, 1796, 1798, 1799, 1800, 1893, 1894, 1895, 1898, 2058, 2059, 2060, 2064, 2065, 2066, 2089, 2986, 2984

श्रीप्रकाश सिह
सचिव।

संख्या-2976 (1)/9-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त के अतिरिक्त एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 25....नवम्बर 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2976 (2)/9.1.2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) आयुक्त गोरखपुर, मण्डल गोरखपुर ।
(2) जिलाधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशि कान्त कनौजिया)
अनु सचिव।